जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू0ओ0नोट

विषयः— प्रस्तावित भू—उपयोग परिवर्तन की सूचना दैनिक समाचार—पत्र में प्रकाशनार्थ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि योजना शीला विहार के भूखण्ड संख्या 04 का आवासीय से व्यवसायिक भू—उपयोग उपान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संबंध में दैनिक समाचार—पत्र में आम सूचना का प्रकाशन करवाया जाना है। इस हेतु प्रकाशित करवायी जाने वाली सूचना पर सचिव महोदय से हस्ताक्षर करवाकर विज्ञप्ति भिजवाई जा रही है। कृपया इसका नियमानुसार दैनिक समाचार—पत्र में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः— यथोक्त।

उपायुक्त पीआरएन—उत्तर(प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन—उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा / उपा.पीआरएन—उत्तर / 2022 / डी— 701
दिनांक 20/06/22

PRO/R-703
21/6/22

सेक्टर—4 चित्रकूट स्कीम, जयपुर—302021
दूरभाष— (+91—141—..............................) : ईपीबीएक्स — +91—141—2569696 एक्सटेंशन : (..............................) : फैक्स— +91—141—2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर– I/2022/डी– 658 दिनांकः 17/06/22

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

प्रार्थी श्री सुरेश कौशिक पुत्र श्री श्रीराम कौशिक को योजना शीला विहार योजना के भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 328.99 वर्गगज का आवासीय पट्टा जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरयी क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियमन 2021 के बिन्दु संख्या–2 के उपबिन्दु संख्या iv के कम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर विकास योजना/जोनल विकास योजना संख्या 11–बी अनुसार 24 मीटर सडक के सहारे–सहारे 12 मीटर गहराई तक व्यवसायिक एवं तत्पश्चात आवासीय दर्शित है। भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 21 का उप बिन्दु 6 (ii) अंनुसार आवेदिक भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से कम भाग व्यवसायिक /मिश्रित उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय भू–उपयोग में आ रहा है। उपरोक्त अनुसार उक्त भूखण्ड को आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 40 फीट सडक दक्षिण दिशा की ओर भूख्ण्ड संख्या 05 पूर्व दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 12 एवं 11 एवं पश्चिम दिशा की ओर 24 मीटर(80 फीट) सेक्टर रोड है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार–पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस (रिक्त भूखण्ड हेतु) की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपात्ति/सुझाव निम्न निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालवाधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 17/6/22 को जारी की गई।

सचिव
जविप्रा,जयपुर।

PRO/R-783
21/6/22

सेक्टर–4 चित्रकूट स्कीम, जयपुर–302021
दूरभाष– (+91–141–..........................) : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटेंशन : (..........................) : फैक्स– +91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः—जविप्रा / उपा. / पीआरएन—उत्तर(द्वितीय) / 2022 / डी— 837 दिनांकः— 17/6/22

—:सार्वजनिक सूचना:—

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन / भू—आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर—द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड / प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:—

क्र. स.	आवेदक का नाम / पिता / पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	रेखा चौधरी / देवी सिंह चौधरी (अम्बेश्वर गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना—रजनी विहार)	151	353.75
2	सुमन देवी / सुमेर सिंह (सूरजपोल गेट गृ0नि0स0स0लि0की योजना—कृष्णा वाटिका)	35	105.83
3	मंगलराम एंव रूपनारायण / किशना राम चौधरी (श्री महावीर स्वामी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना—विकास नगर—बी)	152 व 152	225 व 220
4	रामसिंह शेखावत / महेन्द्र सिंह (टैगोर नगर गृ0लि0स0स0लि0की योजना—शिव विहार—सी)	25	168.33
5	कैलाश कुमावत / उत्तम राम (म्युचुअल हा.को.आप.सो.लि.की योजना—अनुपम विहार)	43	194.44
6	मामराज यादव / बद्रीप्रसाद यादव (बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.लि.की योजना—चन्द्र वाटिका—ए)	ए—28 ईस्ट पार्ट	153.33
7	नीलू कंवर चौहान / प्रीतम सिंह चौहान (मित्र गृ.नि.स.स.लि.की योजना—अभिषेक विहार)	6	196.87
8	एश्वर्या लक्ष्मी सिह तंवर / राजेन्द्र सिंह तंवर (भैरव गृ.नि.स.स.लि.की योजना—अलंकार विहार)	63	355.55

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड / प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन—उत्तर—II
जविप्रा,जयपुर।

पी.आर.एन. (उत्तर—II)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय दवारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन—उत्तर—II
जविप्रा,जयपुर।

PRO R-701
17/6/22

कल 24/6/2022 कार्यालय

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू0ओ0नोट

सार्वजनिक विज्ञप्ति

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क.स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री जगदेव सिंह सांधा पुत्र श्री सतवंत सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरारनामा	82-ए	991.12
2	श्री जगदेव सिंह सांधा पुत्र श्री सतवंत सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरारनामा	77	903.21
3	श्री जगदेव सिंह सांधा पुत्र श्री सतवंत सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरारनामा	76	887.92
4	श्री जगदेव सिंह सांधा पुत्र श्री सतवंत सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरारनामा	76-ए	895.57
5	श्रीमती सतवंत कौर सांधा पत्नी श्री जगदेव सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरा.	71-ए	975.82
6	श्रीमती सतवंत कौर सांधा पत्नी श्री जगदेव सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरा.	65	924.94
7	श्रीमती सतवंत कौर सांधा पत्नी श्री जगदेव सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरा.	71	955.39
8	श्रीमती सतवंत कौर सांधा पत्नी श्री जगदेव सिंह सांधा, अपंजीकृत इकरा. (शंकर भवन नि.स.स.लि. जयपुर की योजना विनायक एनक्लेव (दीप विहार))	64	879.36
9	श्रीमती मीना चौधरी पत्नी श्री गवेन्द्र कुमार (म्युचुअल हाउसिंह को-ऑपरेटिव सो.लि. जयपुर की योजना तारा नगर-ई)	ई-228-दक्षिणी हिस्सा	101.21

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के कम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

~~उपायुक्त, पीआरएन (उत्तर-प्रथम)~~
उपायुक्त, प्रवर्तन अधिकारी
पीआरएन जविप्रा, जयपुर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

....

क्रमांक जविप्रा/उपा/पीआरएन/उत्तर-I/2022/डी- 655
दिनांकः- 20/06/22

PRO/R-702
21/6/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 3645 दिनांक– 22.6.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	44	158.33 व.ग.	सुमित विहार	श्री भागचंद पुत्र स्व. श्री किरोड़ी लाल	श्री भागचंद पुत्र स्व. श्री किरोड़ी लाल	समिति द्वारा जारी साईट प्लान गुम होने पर।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति / हितधारी / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा–3/लालकोठी/डी– 497 दिनांक 21/6/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए–47	योजना गोलीमार गार्डन (स्कीम नं. 1)	श्री राहुल शर्मा पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ शर्मा	श्री विश्वनाथ शर्मा पुत्र श्री नारायण दास शर्मा	स्वघोषणा पत्र, रजिस्टर्ड वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्रों, सजरा शपथ पत्र की प्रति

उपायुक्त जोन–3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. **जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।**

उपायुक्त जोन–3
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-705
21/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष : (0141–2574768) : (0)ईपीबीएक्सः 0141–2569696 एक्सटे.: (8220): फैक्सः +91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः—ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन—13 / 2022 / डी— 4392 दिनांकः— 21/6/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः—राजस्व राजावास, तहसील—आमेर के खसरा नम्बर 771 / 874 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 771 / 853 रकबा 0.3100 हेक्टेयर, 771 / 872 रकबा 1100 हेक्टेयर किता—03 रकबा 0.5200 हेक्टेयर भूमि **आवासीय प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व राजावास, तहसील—आमेर के खसरा नम्बर 771 / 874 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 771 / 853 रकबा 0.3100 हेक्टेयर, 771 / 872 रकबा 1100 हेक्टेयर किता—03 रकबा 0.5200 हेक्टेयर भूमि **आवासीय प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार **08 (आठ) फोंट साईज में दो** राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो—दो मूल प्रतियॉ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्नः—लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन—13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपिः—डा. प्रदीप कुमार मील पुत्र धोकलसिंह मील एवं डा. विमला पत्नी डा. प्रदीप कुमार, निवासी—साकेत भवन, सिल्वर जुबिली मार्ग, सीकर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन—13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-710
22/6/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–13 / 2022 / डी–4392 दिनांकः–21/6/22

लोक सूचना

डा. प्रदीप कुमार मील पुत्र धोकलसिंह मील एवं डा. विमला पत्नि डा. प्रदीप कुमार खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर कृषिक** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम–राजावास, तहसील–आमेर (जयपुर)	1. डा. प्रदीप कुमार मील पुत्र धोकलसिंह मील 2. डा. विमला पत्नि डा. प्रदीप कुमार	771 / 874	0.1000
2			771 / 853	0.3100
3			771 / 872	0.1100
			किता–3	0.5200

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/6/22............ को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-710
22/6/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक 22/06/2022

क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/101919

लोक सूचना

श्री SITARAM SHARMA पुत्र श्री BHORILAL जाति SHARMA निवासी 149, BASRI, MUKUNDPURA ROAD, BHANKROTA, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निरसन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	भाकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	SITARAM S/O BHORILAL	872	2000	0.2
2	भाकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	SITARAM S/O BHORILAL	873	400	0.04
3	भाकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	SITARAM S/O BHORILAL	874	4900	0.49
4	भाकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	SITARAM S/O BHORILAL	875	2250	0.225
				कुल	0.955

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निरसन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **22-06-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी–1840 दिनांक 21/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.स.–14	कमानी रोड (श्री छत्रपति शिवाजी गृ. नि.स.स.)	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह	श्री ओंकार जांगिड पुत्र श्री मोतीराम जांगिड	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
2.	भू.स.–23ए	अलकापुरी–सी (श्री छत्रपति शिवाजी गृ. नि.स.स.)	श्री लक्ष्मण पुत्र श्री मूलचन्द	श्री मूलचन्द पुत्र श्री परमा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
3.	भू.स.–19	फतेह नगर (सिंधु नगर गृ.नि.स.स.)	श्री ओमप्रकाश तिवारी पुत्र श्री रामेश्वर लाल तिवारी	श्री बलदेव सिंह यादव पुत्र श्री सुरजभान यादव	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
4.	भू.स.–16 (पूर्वी भाग)	वी.के.आई–प्रथम (दी कृष्णा गृ.नि.स.स.)	श्री राघव प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह	श्रीमति तुलसीबाई कुमावत पत्नी श्री बाल सिंह शेखावत	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
5.	भू.स.–16 (पश्चिमी भाग)	वी.के.आई–प्रथम (दी कृष्णा गृ.नि.स.स.)	श्री ईश्वर सिंह पत्नी श्री हरिसिंह	श्रीमति तुलसीबाई कुमावत पत्नी श्री बाल सिंह शेखावत	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
6.	भू.स.–एस–2	उधोग नगर (दी कृष्णा गृ.नि.स.स.)	मोहम्मद हुसैन पुत्र छीतरमल	श्रीमति स्वरूपी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल हाडा	मृत्यु के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेज के सम्बन्ध मे।
7.	भू.स.–67	स्कीम–5 विजयबाडी (संयुक्त गृ.नि.स.स.)	सुष्मिता बारेठ पत्नी श्री गजराज सिंह	श्री पन्नालाल पुत्र श्री रामलाल	मृत्यु के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेज के सम्बन्ध मे।

PRO/R-706 22/6/22

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-2570256.} : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:{7118}:

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}

Azadi Ka Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–8 / 2022 / डी– 1774 दिनांकः– 21/6/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	खातेदार / आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	12	मंगल विहार (लुनियावास गृ0नि0स0समिति लि0)	श्री हुब्ब लाल शर्मा पुत्र श्री नत्थी लाल	श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मूला राम शर्मा	सोसायटी द्वारा जारी रसीद गुम हो जाने के कारण
2	13	मंगल विहार (लुनियावास गृ0नि0स0समिति लि0)	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री धनश्याम	श्री देवेश बिहारी माथुर पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद माथुर	अपंजीकृत इकरारनामा बिचौती के कारण

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-707
22/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-2572515} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {}: फैक्स- +91-141-2574555

D-Drive/Zone-8/Kailash/Amin ji/Letter